न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 93 / 2022

श्री सोमवीर सिंह एडवोकेट पुत्र मेंहदीलाल कोर्ट कैम्पस कुम्हेर जिला भरतपुर

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर

..............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 7.12.2022

अपीलार्थी श्री सोमवीर सिंह एडवोकेट पुत्र मेंहदीलाल कोर्ट कैम्पस कुम्हेर जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के खिलाफ अपील प्राप्त हुई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 22 / 875 दिनांक 23.11.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बावत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी का जबाव पत्र क्रमांक / सू.अ.अ. / 2022 / 1035 दिनांक 01.12.2022 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावाली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नही कराई है। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाव के अवलोकन से जाहिर है आया कि अपीलार्थी को जरिये पत्र क्रमांक / सू.अ.अ. / 2022 / 1022 दिनांक 14.11.2022 से प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके पते पर भेजी जा चुकी है। इसी प्रकार लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्वित नहीं है। अस्तु अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेपित हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंग्न कर) प्रेपित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर